न्यायालय, मुंसिफ, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–38 / 2023

मो0 निजामुदद्दीन.....वादी

बनाम

रजी ईमाम अंसारी.....प्रतिवादी

आदेश

15.07.2023 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति अन्तर्गत आदेश 26 नियम 10(ए) सी.पी.सी. आवेदन दिनांक–09.05.2023 तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 23.06.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद नं0 1 की भूमि का भौतिक स्वरूप एवं दखल कब्जा के संबंध में प्रतिवेदन आना आवश्यक है जिसके संबंध में विवादित भूमि का वैज्ञानिक माप एवं उसके सीमांकन के लिए सर्वे ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त की बहाली किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। वादी सर्वे ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त का खर्च वहन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि मद नं0 1 की भूमि का सिलि पैमाईश एवं सीमांकन के लिए सर्वे ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर प्रतिवेदन मंगाने के संबंध में आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है और मनगढ़त एवं काल्पनिक है। वादी के वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि का खाता एवं चौहद्दी गलत है। वादी ने मद नं 1 में उल्लिखित भूमि के सटे उत्तर निज वादी का अंकित किया है जो गलत है। मद नं1 चौहद्दी के सटे उत्तर में खसरा नं 161, 162 एवं 163 अंकित होना चाहिए जो सही है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दि0 09.05.2023 को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद विवादित भूमि के मद नं0 1 पर हकियत की उद्घोषणा के साथ मद नं0 1 पर पूर्व से बने आड़ का मोकम्मल करने हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति के लिए दाखिल किया गया है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जो दो केवाला दि0 08.08.1983 दाखिल किया है उसके चौहद्दी के उत्तर में अब्दुल हमीद अंसारी वो सुलेमान अंसारी अंकित है और उसी केवाला के आधार पर वादी अपना दावा करते है। ऐसी स्थिति में जब तक वादी के स्वंय का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ जाता है तब तक किसी प्रकार का कब्जा के संबंध में प्रतिवेदन मंगाया जाना यह निर्देशित करेगा कि न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकार के पक्ष में कब्जा के संदर्भ में साक्ष्य संग्रह किया जा रहा है। अतएव वादी द्वारा दाखिल आवेदन खारिज किया जाता है। वादी यदि चाहे तो साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त नये शिरे से इस आशय का आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

वाद दिनांक 05–08–2023 वास्ते निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई हेतु।

राजीव कुमार,
मुंसिफ, पटोरी